(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 14 / 2019

बउनवान

शकुन्तला आयु 49 वर्ष पत्नि सत्यनारायण जाति महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1– नवदीप सिंह राठौर आयु 28 वर्ष पुत्र करणसिंह राठौर जाति राजपूत निवासी तीतरखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ

2– बृजराज सिंह आयु 46 वर्ष पुत्र शिवनाराण सिंह राठौर जाति राजपूत निवासी तीतरखेडी तहसील छबडा जिल बारॉ

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :– राजस्व / तरमीम / 2019 / 01 / 500–503 दिनांक 13.09.2019 मे पारित निर्णय के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट क्र.1 व 2)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 3)

निर्णय दिनांक 23.03.2020

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व / तरमीम / 2019 / 01 / 500–503 दिनांक 13.09.2019 मे पारित निर्णय से अप्रसन्न होकर, अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 14.10.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। जो इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा क्षेत्राधिकार बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति अपीलांट के अभिभाषक को तकसीम की जाकर, प्रार्थना पत्र पत्र जवाब लिया जाकर, प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर, क्षेत्राधिकार बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2020 को रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे दस्तावेज प्रस्तुत नही करने के कारण खारिज किया गया।

प्रकरण मे दिनांक 5.2.2020 को ही उभयपक्ष के अभिभाषकगण की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना, प्रकरण मे आगामी नियत पेशी दिनांक तक स्थगित रखी जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकगण की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांट को खसरा नम्बर 755 रकबा 32.08 बीघा गैर मुमकीन पठार सिवायचक मे से 4 बीघा भूमि स्टोन क्रेशर संचालित हेतु आवंटित हुयी थी, जिसका दखल दिनांक 3.7.2006 को हल्का पटवारी द्वारा दे दिया गया था तथा दिनांक 24.11.2006 को पट्टा विलेखपत्र जरिये रजिस्टर्ड पट्टा तहसील कार्यालय छबडा द्वारा करा दिया गया था। तभी से अपीलांट उक्त स्थान पर अपना श्री नाथ स्टोन क्रेशर संचालित कर रही है।

यह कि अपीलांट के स्टोन क्रेशर छबडा धरनावदा रोड के बीच 100 मीटर की दूरी है, जिस स्थान पर अपीलांट का क्रेशर का कच्चा माल रखने के काम आता है तथा आज तक भी उक्त स्थान को किसी भी अन्य उधमी को आवंटन नही हुआ है। यह कि पूर्व विधायक श्री करणसिंह के पुत्र श्री नवदीप सिंह राठौर व विधायक के भतीजे से श्री बृजराज सिंह राठौर द्वारा पूर्व खातेदारान प्रेम, हरिराम, ईश्वरलाल पुत्रगण जगन्नाथ जाति लोधा निवासी बापचा तहसील छबडा से 2–2 बीघा कृषि आराजियात क्रय की थी, जो धरनावदा रोड से 200 मीटर की दूरी पर है तथा भूमि सिंचित अंकित की गयी थी। कब्जा व दखल दोराने बेचान संभलायी गयी थी। परन्तु पूर्व विधायक द्वारा अपने प्रभाव का आज से पूर्व मे भी नाजायज दुरूपयोग कर वर्ष 2012 मे अनाधिकृत रूप से तहसीलदार छबडा से पैमाईश कर धनावदा रोड के नजदीक जहॉ पर अपीलांट के कच्चे माल का ढेर लगा हुआ था। अपने पुत्र व भतीजे के नाम क्रय शुदा कृषि आराजी को तरमीम करवाने की कोशिश की गयी थी। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार न तो पूर्व खातेदारान का कहीं भी कब्जा था ना ही वर्तमान क्रेताओं का कब्जा है तथा अपीलांट के भारी विरोध की वजह से पूर्व विधायक तरमीम करवाने मे कामयाबी नही हो पाये थे।

यह कि वर्तमान तहसीलदार साहब व पूर्व विधायक द्वारा पुनः अपीलांट के श्री नाथ क्रेशर स्टोन के नजदीक कृषि आराजियात को जो उनके पुत्र व भतीजे के नाम है, नक्शे मे तरमीम कराने पर आमादा हो रहे है। जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 755 व उसके आसपास पठारी क्षेत्र होने से कृषि योग्य भूमि नही है, ना ही आसपास फसल होती है। जो कृषि आराजियात पूर्व विधायक पुत्र व भतीजे/रेस्पो0 क्रम 1 व 2 द्वारा खरीदी गयी है वह आराजियात खसरा नम्बर 754 के पास स्थित है। जो श्री नाथ स्टोन क्रेशर के आसपास पठारी क्षेत्र है तथा वहॉ पर अन्य स्टोन क्रेशर रिलाइबल स्टोन, धनोरिया स्टोन, सुन्दरम स्टोन, केला देवी स्टोन क्रेशर एवं अन्य स्टोन क्रेशर संचालित हो रहे है।

यह कि पूर्व विधायक व तहसीलदार छबडा ने मिलीभगत करके अपीलांट के स्टोन क्रेशर के पास अनाधिकृत रूप से कृषि आराजियात की सरकारी कागजात मे हेराफेरी करके नक्शा तरमीम करवा लिया, तो अपीलांट को अपरिमित क्षति होगी एवं स्टोन क्रेशर संचालन मे बाधाऐं आयेगी। यह कि पत्रावली मे अधीनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य के रूप मे रामचरण, लेखराज, ओमप्रकाश, भंवरसिंह, रामनारायण, राधेश्याम, कल्याणसिंह, नारायण सिंह के शपथ पत्र पेश किये गये है। जिसके अनुसार रेस्पो0 क्रम 1 व 2 की खरीद शुदा भूमि रोड से 200 मीटर दूर बतायी गयी है। साथ ही दोनो विक्रय पत्रो मे रोड से 200 मीटर दूर बतायी गयी है।

यह कि अपीलांट द्वारा दिनांक 26.4.2013 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार छबडा/ रेस्पो0 क्रम 3 को दिया गया था। परन्तु रेस्पो0 क्रम 3 द्वारा अपीलांट को बिना सुने एकतरफा निर्णय कर दिया गया था। यह कि खसरा नम्बर 755/1 रकबा 4 बीघा किस्म बारानी द्वितीय है, जबकि खसरा नम्बर 755 रकबा 32.08 बीघा पठारी क्षेत्र है। इस पर भी रेस्पो0 क्रम 3 ने कोई गोर नही किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय काबिल निरस्तनीय है।

यह कि रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 08.08.2012 मे कब्जो के सम्बन्ध मे कब्जा नही होना तथा पटवारी हल्का बापचा की रिपोर्ट मे भी क्रेता/रेस्पो0 क्रम 1 व 2 तथा विक्रेता का कब्जा नही होना अंकित है। यह कि विक्रय पत्रों मे स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोड से 200 मीटर दूरी पर खेती स्थित है तथा कृषि आराजियात के आसपास आवासीय, वाणिज्य, आद्योगिक क्षेत्र नही है। जबकि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 08.08.2012 को खातेदारान का कहीं पर भी कब्जा होना नही होना माना गया है तथा दिनांक 13.05.2013 को हल्का पटवारी रिपोर्ट मे क्रेता व विक्रेता का कभी कब्जा नही माना है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :– राजस्व/तरमीम /2019/01/500–503 दिनांक 13.09.2019 मे जो आदेश/निर्णय पारित किया गया है सम्पूर्ण साक्ष्य दस्तावेजो का गम्भीरता से अध्ययन किया जाकर नियमानुसार पारित किया गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण मे गुणवगुण पर निर्देश दिये जाने की अपेक्षा यह न्यायालय तहसीलदार छबडा के द्वारा पारित तरमीम आदेश/निर्णय दि. 13.09.2019 को निरस्त करते हुये प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड करता है कि तहसीलदार छबडा प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण/SPOT VERIFICATION करे, दोनो पक्षों को नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई हेतु तलब करें, तत्पश्चात सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण करते हुये, इस तथ्य का परीक्षण करे कि राजकीय भूमि/राजकीय हित प्रभावित न हो एवं इस प्रकार प्रकरण मे युक्तियुक्त निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.07.10 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: